

विनियोग संख्या 77 - संघ लोक सेवा आयोग
APPROPRIATION No. 77-UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
---------------------------------------	--	-----------------

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

राजस्व:	Revenue:		
प्रभारित-	Charged-	57,68,00	57,58,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		-9,40
टीका और टिप्पणियां			शून्य Nil

Notes and comments

(1) विनियोग में, बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the appropriation, saving/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	5768.00	5758.60	-9.40
मुख्य शीर्ष "2051"	Major Head "2051"			
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission			

(1) "संघ लोक सेवा आयोग - परीक्षाओं और चयन पर व्यय" के अंतर्गत 150.60 लाख रु. की बचत (2169.00 लाख रु.के स्वीकृत विनियोगकी तुलना में) पर्यवेक्षकों को अदायगी पर कम व्यय होने के कारण हुई क्योंकि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीख अप्रैल, 2006 के स्थान पर मई के दूसरे सप्ताह के लिए निर्धारित की गई थी, जबकि पर्यवेक्षकों को अदायगियां परीक्षा की निर्धारित तारीख से कम से कम एक महीने पहले की जाती है।

(1) Under "Union Public Service Commission - Expenditure on Examinations and Selections" - saving of Rs.150.60 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.2169.00 lakhs) was due to less expenditure incurred on payment to Supervisors as the date of Civil Service Preliminary Examination was fixed for 2nd week of May instead of April, 2006, payments being made to the Supervisors at least one month before the scheduled date of examination.

2. उपर्युक्त बचतें "संघ लोक सेवा आयोग - प्रशासनिक व्यय" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 138.78 लाख रु. का अधिक व्यय (3568.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोगकी तुलना में) वेतन एवं भत्तों के बकाया की अदायगी किए जाने, हवाई यात्रा पर अधिक व्यय किए जाने, दिल्ली से बाहर वैयक्तिक बातचीत/साक्षात्कार अधिक संख्या में आयोजित किए जाने और न्यायालयीन मामलों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुआ।

2. The above saving was partly offset by excess under "Union Public Service Commission - Administrative expenditure" - excess of Rs.138.78 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.3568.00 lakhs) was due to payment of arrears of pay and allowances, more expenditure on journey by air, more number of Personal Talks/ Interviews were held outside Delhi and increase in number of Court Cases.

3. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क के रूप में वर्ष के दौरान 33.74 लाख रु. की राशि वसूल की गई जिसे व्यय की कमी के रूप में नहीं लिया जाना था और इसे भारत की समेकित निधि में प्राप्त के रूप में लिया गया था।

3. An amount of *Rs.33.74 lakhs* was realised during the year as fees for examination conducted by the Commission which was not to be taken as reduction of expenditure and was taken as receipt in the Consolidated Fund of India.
